

an>

Title: The Minister of Parliamentary Affairs made a statement regarding Government Business during the week commencing the 5th December, 2016 and submissions made by Members.

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): On behalf of Shri S.S. Ahluwalia, Madam Speaker, with your permission, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 05<sup>th</sup> of December, 2016 will consist of:-

1. Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper:- (It contains consideration and passing of (a) The Maternity Benefit (Amendment) Bill, 2016 as passed by Rajya Sabha (b) The Admiralty (Jurisdiction and Settlement of Maritime Claims) Bill, 2016, and (c) The Mental Healthcare Bill, 2016, as passed by Rajya Sabha.)
2. Consideration and passing of the Surrogacy (Regulation) Bill, 2016.
3. Consideration and passing of the following Bills after they are passed by Rajya Sabha:-
  - (a) The Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (Prevention and Control) Bill, 2014.
  - (b) The Rights of Persons with Disabilities Bill, 2014.
4. Discussion and Voting on:-
  - (a) Second Supplementary Demands for Grants (General) for 2016-17.
  - (b) Demands for Excess Grants (General) for 2013-14.
5. Consideration and agreeing to the amendments made by Rajya Sabha in the Enemy Property (Amendment and Validation) Bill, 2016 as passed by Lok Sabha, after it is passed by Rajya Sabha to replace an ordinance.

HON. SPEAKER: Now, Submissions by Members.

Dr. Kirit P. Solanki – not present.

...(Interruptions)

HON. SPEAKER: Shri Mullappally Ramachandran to make his submission. Are you giving?

...(Interruptions)

HON. SPEAKER: No.

Now Prof. Chintamani Malviya.

**प्रो. चिंतामणि मालवीय (उज्जैन) :** अध्यक्ष महोदया, मैं अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नांकित लोक महत्व के विधायक को सम्मिलित करने का निवेदन करता हूँ:-

देश में मुस्लिम आबादी लगभग 20 करोड़ है, जो कई यूरोपीय देशों की कुल आबादी से ज्यादा है, लेकिन भारत में फिर भी उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। फिर भाषाई अल्पसंख्यक का पूरा भी उलझा हुआ है।

चूंकि अन्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं अपने विदेशी स्टेट्स के कारण शिक्षा के अधिकार के तहत गरीबों को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश नहीं देती हैं, जिससे शिक्षा का अधिकार कानून को लागू करने में परेशानी आती है।

अतः अल्पसंख्यक शब्द को फिर से परिभाषित करने हेतु सदन में व्यापक चर्चा होनी चाहिए। कृपया इस महत्वपूर्ण विधायक को आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में चर्चा हेतु रखा जाए।

खाड़ी देशों की जेतों में बन्द भारतीय मूल की महिलाओं की स्थिति को जानने, उनकी रिहाई हेतु संबंधित मदद मुहैया कराने तथा संबंधित दूतावास को रिहाई संबंधी उचित निर्देश देने हेतु चर्चा कराने बाबत।

**श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) :** अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में मेरे निम्नलिखित विधायकों को शामिल किया जाए: ... (व्यवधान)

1. झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर एनएच पर यमुना नदी पर बने पुराने (कालपी पुल) के क्षतिग्रस्त हो जाने के पश्चात् आवागमन में आ रही समस्याओं के संबंध में।
2. राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर कालपी नगर में एनएच पर ओवरब्रिज न होने के कारण स्कूली बच्चों की दुर्घटनाओं में मृत्यु तथा अन्य दुर्घटनाओं के संबंध में। ... (Interruptions)

**श्री अजय मिश्रा टैनी (खीरी) :** अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में मेरे निम्नलिखित विधायकों को शामिल किया जाए: ... (व्यवधान)

1. लखीमपुर नगर के बीच गुरुनानक स्कूल जो लखीमपुर-सीतामार्ग को खीरी- लखीमपुर मार्ग से जोड़ने के लिए पीडब्ल्यूडी द्वारा नहर के दोनों तरफ बनाया गया है, उसको प्रयोग करने के लिए नहर के एक तरफ बैरियर सं. 148 है लेकिन दूसरी तरफ रेलवे का बैरियर न होने के कारण दूसरी तरफ के मार्ग का प्रयोग नहीं हो पा रहा है। अतः दूसरी तरफ भी रेलवे का बैरियर लगाया जाए।
2. 1 अप्रैल, 2005 के बाद नियुक्त शिक्षक व कर्मचारियों की पेंशन जो भारत सरकार द्वारा सन 2005 में समाप्त करने का प्रावधान किया गया है, को पुनः शुरू किया जाए तथा 1 अप्रैल, 2005 के बाद नियुक्त सभी शिक्षकों व कर्मचारियों को उसका लाभ दिया जाए।

**\*श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) :** अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में मेरे निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए: ... (व्यवधान)

1. बिहार राज्य में भयंकर बाढ़ से प्रभावित व क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु अविलंब पर्याप्त धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।
2. बिहार राज्य के बाँका संसदीय क्षेत्र के अधीन सुल्तानगंज-देवघर एवं मंदार पर्वत को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु स्वीकृत 50-50 करोड़ की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

**श्री राम टहल चौधरी (रौंतेली) :** अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में मेरे निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए: ... (व्यवधान)

1. मेरे संसदीय क्षेत्र रांची जिले की नामकुम सेना छावनी पास स्थित सुगन्ध, खटंगा, गाड़ी होटवार, लालगंज एवं नामकुम के निवासियों/आदिवासियों को सुख सुविधा से सेना के जवानों द्वारा वंचित किया जा रहा है एवं तंग किया जा रहा है, उनका रास्ता रोका जाता है गांव की सड़कों को बनाने नहीं देते, ताताब, स्कूल जाने में रुकावट डाली जाती है इन सब कारणों से उपरोक्त क्षेत्र के नागरिक अधिकारों का उपयोग करने नहीं दिया जा रहा है जिसके कारण यहां के लोग, आन्दोलन के मूड में हैं और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस संबंध में सांसदों की एक टीम को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा स्थिति का पता लगाने के लिए तत्काल भेजा जाने का कार्य।
2. मेरे गृह राज्य झारखंड में चांडिल बहुउद्देशीय परियोजना 30 साल से अधिक समय से चल रही है परन्तु इस योजना से प्रभावित अधिकांश विस्थापित परिवार को मुआवजा, विकास पुस्तिका, आवास एवं रोजगार अभी तक नहीं मिला है जिसके कारण विस्थापित परिवार लोगों को कई सालों से लगातार परेशानी हो रही है। चांडिल बहुउद्देशीय परियोजना से प्रभावित विस्थापित परिवार को नियमानुसार समुचित मुआवजा, आवास, विकास पुस्तिका, रोजगार एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री एन.के.प्रेमचन्दन - उपस्थित नहीं।

**श्री गोपाल श्रेष्ठ (मुम्बई उत्तर) :** अध्यक्ष महोदया, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नांकित दो विषयों को सम्मिलित किया जाए: ... (व्यवधान)

1. महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग के सचिव द्वारा केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव को पिछड़े वर्ग के लिए केन्द्र की ओर से वर्ष 2001-02 से वर्ष 2013-14 तक के बीच की अवधि की बकाया 1392.61 करोड़ की रिम्बर्समेंट राशि को जारी किए जाने हेतु प्रस्ताव भेजे गए हैं और उक्त राशि को जारी किए जाने हेतु 29 रिमाइंडर लेटर भी प्रेषित किए हैं। लंबित बकाया को शीघ्र जारी किए जाने से संबंधित विषय।
2. महाराष्ट्र सरकार के वन विभाग द्वारा दिनांक 27.8.2013 एवं 23.12.2013 में केन्द्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को ग्रेटर मुंबई के सीआरजेड. के अधीन क्षेत्रों में झुग्गी पुनर्वास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश में संशोधन हेतु प्रस्ताव भेजा था और इस बारे में राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने केन्द्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सचिव के साथ दिनांक 7.11.2013 में चर्चा भी की थी। केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के नोटिफिकेशन दिनांक 6.1.2011 में संशोधन किए जाने से संबंधित विषय। ... (व्यवधान)

**डॉ. किरिटी पी. सोलंकी (अहमदाबाद) :** माननीय अध्यक्ष जी, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए।

1. अहमदाबाद के साबरमती रेलवे स्टेशनों को जनहित को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाए।
2. भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का देहांत मुम्बई में हुआ था उनकी अंतिम इच्छा के अनुरूप उनको साबरमती नदी के किनारे पंत तट में विलीन किया गया था। उस अन्ध घाट का विकास किया जाए।

â€ (व्यवधान)